[illegible]

[illegible]

[illegible]

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

अंकन: प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2020/[illegible] लखनऊ: दिनांक: 16-8-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

प्राविधिक [illegible] निजी प्रविधि, नई दिल्ली/[illegible] महाविद्यालय [illegible] दिनांक [illegible] सत्र 2020-21 हेतु [illegible] प्राविधिक शिक्षा [illegible] की अनुमोदन प्राप्त किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को कक्षा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की बैठक में परिषद उपाध्यक्ष के बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रस्तावित नई संस्थाओं का सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता इत्यादि संबंधित प्रस्ताव पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुपालन में सम्बद्धता समिति की बैठक के पृष्ठ-5 में दिनांक द्वारा कार्यालय पत्रावली संलग्नित उल्लेख वाली पूर्व की सम्बद्ध संस्थाओं को प्रदान किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा नवीन विभाग/विषयों एवं निम्नवत् विषय विस्तार किया गया :-

"मेसर्स [illegible] के संबंधित विभागों का पत्रावली चालू सत्र [illegible] करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु फैकल्टीवाइज द्वारा उनके प्रस्ताव अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में फैकल्टीवाइज द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुपालन आख्या एवं के सम्बन्ध संबंधित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विस्तार-विषयों किया गया एवं [illegible] से फैकल्टीवाइज द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुपालन के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक [illegible] को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये अनुमोदन निर्णय के अनुपालन के विषय संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नवत् शर्तों के अधीन विभागवार एवं पाठ्यक्रम सहित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	फैकल्टीवाइज द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	फैकल्टीवाइज/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
[illegible]	[illegible]	[illegible] प्राविधिक महाविद्यालय, [illegible]	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था फैकल्टीवाइज/डिसिप्लिनवाइज द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था द्वारा प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं [illegible] तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद फैकल्टीवाइज [illegible] फैकल्टीवाइज [illegible] तथा अन्य निर्धारित किये गये अभिलेखों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क मीन [illegible] संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु रुपये [illegible]/- प्रतिवर्ष [illegible] पाठ्यक्रम हेतु रु0-[illegible]/-प्रतिवर्ष तथा [illegible] पाठ्यक्रम [illegible] अधीन [illegible] पाठ्यक्रम के प्रतिनिधित्व हेतु रु0-[illegible] के वार्षिक शुल्क की [illegible] कक्ष/[illegible] में [illegible] किया जायेगा। [illegible] के प्रतिनिधित्व [illegible] के [illegible] में [illegible]-[illegible] के अनुसार शुल्क निर्धारण किये जाने बाबत [illegible] कार्यालय [illegible] के अनुसार [illegible] किया

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

संलग्न:

अनुसूचित जनजाति कर्मचारी की जनगणना।

(सुनील कुमार सोलंकी)

सचिव

पृ0सं0- बनि0/सचिव सम्बद्ध/2021/3538-4830

दिनांक: 09/08/2021

प्रेषित:-

प्राचार्य, CHANDRA KAMAL PHARMACY MAHAVIDALAYA BICHHAWAN,TEHSIL-BHOGAON,MAINPURI-205261.

(सुनील कुमार सोलंकी)

सचिव

8/1/2021

कार्यालय,

अधिष्ठाता, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविपरिषद/सम्बद्धता/2021/0337 संवाद दिनांक: 09/08/2021

:आदेश पत्र:

अधिष्ठाता भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राजकीय कार्यालय अंक हस्तिका, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन पत्र निर्गत किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पत्र निर्गत किये जाने हेतु दिनांक- 05/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व में संबंधित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नई पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार पत्र निर्गत किये जाते हैं:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1061-CHANDRA KAMAL PHARMACY MAHAVIDALAYA,BICHHAWAN,TEHSIL-BHOGAON,MAINPURI-205267

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	प्राविपरिषद/सम्बद्धता द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	प्रस्तावित सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था प्राविपरिषद/उ0प्र0/राजकीय/अशासकीय द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था समस्त प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, प्रोस्पेक्टस विनियमावली 2016 तथा उक्त अधिनियम नियमों एवं उपविधियों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क मदों वर्तमान डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, डी फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एम0 फार्म0 के वर्तमान पाठ्यक्रमों (डी फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही परीक्षा प्रयोजनार्थ के मध्य लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त 10%(रू0 के शुल्क के सम्बन्ध में शासन-शासन पर शासन द्वारा निर्गत किये गये शासनादेश मानी होंगे और तदनुसार

[illegible]

[illegible]

[illegible]